न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण /2017 III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/3736

मोहन सिंह पुत्र रामचंद सिंह रघुवंशी

निवासी ग्राम–फरदाई, तहसील–शाढौरा

जिला–अशोकनगर म.प्र.

विरूद्व

रामबाबू पुत्र रामचन्द्र

निवासी ग्राम–फरदाई तहसील–शाढौरा

जिला–अशोकनगर म.प्र.

श्री ... द्वारा आज 7/10/2017 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 7-10-17

पेशी दिनांक 12-10-17

अनुविभागीय अधिकारी जिला–अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 7 अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 14/09/2017 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश प्रकरण के तथ्यों तथा अभिलेख के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

2. यह कि, अनावेदक ने तहसीलदार–शाढौरा के आदेश दिनांक 28/11/2011 के विरूद्व 3 वर्ष की लंबी समयावधि के पश्चात दिनांक 11/11/2014 को अपील प्रस्तुत की, अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है।

3. यह कि, आवेदक एवं अनावेदक सगे भाई है तहसील न्यायालय से अनावेदक को नियमानुसार प्रकरण की सूचना भेजी गयी थी जिसका अनावेदक पर नियमानुसार निर्वाह भी किया गया था सूचना के बाद भी अनावेदक के उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाहीं करते हुये आदेश दिया गया था।

4. यह कि, भूमि सर्वे क्रमांक 168/2 पारिवारिक बंटवारे में आवेदक को प्राप्त हुयी थी जिस पर आवेदक का पक्का मकान बना है, नलकूप है एवं बगीचा लगा हुआ है अनावेदक ने मिथ्या

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(2)

मा/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/3736.

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **जिला–अशोकनगर**

स्थान तथा दिनांक	मोहन सिंह कार्यवाही तथा आदेश रामबाबू सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
12-01-2018	आवेदक की ओर से श्री मुकेश वेलापुरकर, अभि.उप. । उन्हें प्रकरण की ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया । 2— प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान प्रकरण को आगे न चलाने का अनुरोध करते हुए इसी स्तर पर समाप्त किए जाने का निवेदन किया गया। आवेदक अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दा0रिकार्ड हो। सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर	